नईदुनिया

संपादकीय

तबादलों पर महाभारत

मंत्री बोले 'इंटरेस्ट', सचिव बोले 'सहमति', प्रशासन फंसा बीच में

कभी अंदर की बातें इतनी जोर से बाहर आती हैं कि पर्दा अपने आप फट जाता है। तबादले हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। लेकिन अब जब सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री खुद अपने विभाग के सचिव पर 'इंटरेस्ट' के आधार पर तबादले करने का आरोप लगाएं, तो किसी सबूत की जरूरत नहीं रह जाती। मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की कि सचिव ने अपने इंटरेस्ट के अनुसार तबादले कर दिए। सचिव का जवाब भी तुरंत आ गया कि जिन तबादलों पर सहमति बनी थी, उनमें मंत्री स्तर पर बदलाव किया गया, इसलिए उन्हें रोका गया। तबादला सीजन खत्म हो गया, लेकिन विवाद अभी बाकी है।

यह लड़ाई सिर्फ दो कुर्सियों की नहीं, पूरे सिस्टम की साख की है। आम धारणा पहले से ही यही रही है कि कोई तबादला बिना इंटरेस्ट के नहीं होता। अब मंत्री के शब्दों ने उस धारणा पर सरकारी मुहर लगा दी है। हर साल तबादलों का दौर शुरू होते ही इसे कमाई का सीजन कहा जाता है। विपक्ष इसे तबादला उद्योग बताता है और सत्ता इसे प्रशासनिक जरूरत कहती है। इस बार आरोप लगाने वाले और सफाई देने वाले दोनों एक ही सरकार के हिस्से हैं।

तबादला एक प्रशासनिक प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन अब यह सजा देने, इनाम बांटने और वफादारी परखने का माध्यम बन गई है। चहेतों को मलाईदार पोस्टिंग, विरोधियों को दूरस्थ तबादला और प्रभाव वाले स्थानों पर अपने लोगों की तैनाती आम बात हो गई है। हर साल तबादला नीति जारी होती है, जिसमें न्यूनतम दो वर्ष तक एक स्थान पर रहने का प्रावधान होता है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई अधिकारी एक वर्ष में कई बार स्थानांतरित होता है, जबकि कोई वर्षों तक एक ही कुर्सी पर बना रहता है।

कार्य-संचालन नियमों के अनुसार मंत्री और सचिव के बीच विवाद होने पर मामला मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाता है। लेकिन फैसले अक्सर नियमों से ज्यादा सियासी समीकरणों से प्रभावित दिखाई देते हैं। बिना इंटरेस्ट तबादला नहीं होता, यह धारणा अब छिपी नहीं है। मंत्री ने उसी सच्चाई को सार्वजनिक शब्द दे दिए हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान प्रशासन को होता है। अधिकारी काम समझे, उससे पहले उसका तबादला हो जाता है। नई जगह पर कामकाज संभालते-संभालते अगला आदेश आ जाता है। योग्यता पीछे छूट जाती है और वफादारी आगे आ जाती है।

सरकार बदलने पर तबादलों की बाढ़ समझ में आती है, लेकिन एक ही सरकार में लगातार ऐसे विवाद यह बताते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता कमजोर पड़ रही है। जनता यह देख रही है कि तबादले जनहित में हो रहे हैं या जेब हित में। सरकार को तय करना होगा कि व्यवस्था नियमों से चलेगी या व्यक्तिगत इंटरेस्ट से। यदि यही स्थिति बनी रही, तो तबादला उद्योग और मजबूत होगा तथा सुशासन की बातें केवल भाषणों तक सीमित रह जाएंगी।

आजकल

बिना वेस्ट के भी क्लियरेंस? क्या यही है नियम?

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई गाइडलाइन ने छोटे क्लीनिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथी, आयुष और अन्य पद्धतियों के डॉक्टरों को भी बायोमेडिकल वेस्ट ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा, जबकि इन जगहों पर न सुई लगती है, न खून निकलता है और न ही कोई संक्रामक कचरा उत्पन्न होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का मकसद अस्पतालों और लैब से निकलने वाले खतरनाक कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है।

इंजेक्शन, सिरिंज और खून से सने सामान से संक्रमण फैल सकता है। इसलिए बड़े अस्पतालों पर निगरानी जरूरी है। पर अब उसी नियम को बिना किसी भेदभाव के सभी चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों पर लागू किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी में केवल व्यायाम और मशीनों का उपयोग होता है। आयुर्वेद और होम्योपैथी में जड़ी-बूटियां और दवाएं दी जाती हैं। इन जगहों पर बायोमेडिकल वेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा, फीस देनी होगी और हर साल रिपोर्ट भेजनी होगी।

छोटे शहरों और कस्बों में ऐसे हजारों क्लीनिक संचालित हैं। वे पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं। अब अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया और खर्च उनके लिए बोझ बन जाएगा। कई डॉक्टरों ने इसे अव्यावहारिक बताया है और विरोध शुरू कर दिया है। सरकार का इरादा पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है, लेकिन जब नियम जमीनी हकीकत को नहीं समझते तो उनका पालन भी कम होता है। जिसके यहां वेस्ट नहीं है, वह भी फॉर्म भरेगा और जिसके यहां वेस्ट है, वह रास्ता निकाल लेगा।

इसका समाधान वर्गीकरण में है। स्वास्थ्य संस्थानों को तीन श्रेणियों में बांटा जाए—बड़े अस्पताल, जहां खतरनाक वेस्ट निकलता है; डेंटल और पैथोलॉजी केंद्र, जहां सीमित वेस्ट होता है; तथा फिजियोथेरेपी और आयुष केंद्र, जहां बायोमेडिकल वेस्ट नहीं बनता। तीसरी श्रेणी को स्वघोषणा की सुविधा मिले। प्रक्रिया भी सरल हो। स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों जरूरी हैं, पर नियम ऐसे हों जिनका पालन व्यावहारिक रूप से संभव हो।

2047 का लक्ष्यः स्वास्थ्य अनुसंधान में विश्वगुरु बने भारत

शोध में बढ़ेगा निवेश, इलाज होगा सस्ता और सुलभ

अब तक भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान कुछ चुनिंदा संस्थानों और प्रयोगशालाओं तक सीमित रहा है। शोध पत्र प्रकाशित होते रहे, लेकिन उनका आम लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा, इस पर कम ध्यान दिया गया। नई नीति इस सोच को बदलने का प्रयास करती है। अब शोध का मूल्य उसकी सामाजिक उपयोगिता से तय होगा। उद्देश्य केवल समस्याओं की पहचान करना नहीं, बल्कि उनके व्यावहारिक समाधान विकसित करना है। इसी कारण पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया जा रहा है कि सीमित संसाधनों का उपयोग किन बीमारियों, तकनीकों और क्षेत्रों में किया जाए।

2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब उसकी पहचान केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी या प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं होगी। उस पहचान का सबसे मजबूत आधार स्वास्थ्य क्षेत्र हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसी सोच के साथ एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। इसका लक्ष्य भारत को स्वास्थ्य अनुसंधान की वैश्विक महाशक्ति बनाना है। इसके लिए 2047 तक स्वास्थ्य अनुसंधान पर होने वाला खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.15 प्रतिशत करने की योजना है। वर्तमान में भारत जीडीपी का केवल 0.024 प्रतिशत स्वास्थ्य अनुसंधान पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका 0.4 प्रतिशत से अधिक, दक्षिण कोरिया लगभग 0.3 प्रतिशत और ब्रिटेन करीब 0.2 प्रतिशत खर्च करते हैं। इस अंतर को कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य शोध ड्राफ्ट नीति और पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा तैयार किया है।

अब तक भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान कुछ चुनिंदा संस्थानों और प्रयोगशालाओं तक सीमित रहा है। शोध पत्र प्रकाशित होते रहे, लेकिन उनका आम लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा, इस पर कम ध्यान दिया गया। नई नीति इस सोच को बदलने का प्रयास करती है। अब शोध का मूल्य उसकी सामाजिक उपयोगिता से तय होगा। उद्देश्य केवल समस्याओं की पहचान करना नहीं, बल्कि उनके व्यावहारिक समाधान विकसित करना है। इसी कारण पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया जा रहा है कि सीमित संसाधनों का उपयोग किन बीमारियों, तकनीकों और क्षेत्रों में किया जाए।

इस एजेंडे में टीबी, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर जैसी पुरानी चुनौतियों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बीमारियां, महामारी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी नई चुनौतियों को भी शामिल किया गया है। बदलती जीवनशैली और बढ़ते स्वास्थ्य संकट को देखते हुए इन विषयों पर व्यापक शोध की आवश्यकता है।

नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक तकनीक पर विशेष जोर है। पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, जीन थेरेपी, डिजिटल हेल्थ और डेटा साइंस को राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा गया है। भविष्य में एआई की मदद से गांव में बैठे मरीज की जांच रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो सकेगी। रोबोटिक सर्जरी दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकती है और जीन थेरेपी से आनुवंशिक बीमारियों का उपचार अधिक प्रभावी तथा सस्ता बनाया जा सकेगा। सरकार का विश्वास है कि यही तकनीकें भारत को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में अग्रणी बना सकती हैं।

2047 तक स्वास्थ्य अनुसंधान पर खर्च को वर्तमान स्तर से लगभग छह गुना बढ़ाया जाएगा। यह निवेश केवल सरकारी बजट तक सीमित नहीं रहेगा। निजी अस्पतालों, दवा कंपनियों, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। लक्ष्य स्पष्ट है कि भारत को दुनिया के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान देशों में स्थान दिलाया जाए। इससे नए अनुसंधान केंद्र स्थापित होंगे, मेडिकल कॉलेजों में पीएचडी की सीटें बढ़ेंगी, शोधार्थियों को फेलोशिप मिलेगी और उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मेडिकल साइंस के केवल लगभग 1.5 पीएचडी शोधार्थी हैं, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 10 से 25 के बीच है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर अपनी क्षमता का परिचय दिया था, लेकिन केवल एक उपलब्धि से कोई देश अनुसंधान महाशक्ति नहीं बनता। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है, दवाएं महंगी हैं और सामान्य जांच के लिए भी लोगों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं, जबकि कैंसर और हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सभी चुनौतियों का स्थायी समाधान केवल मजबूत अनुसंधान से ही निकलेगा।

इस रोडमैप का सीधा लाभ आम नागरिक को मिलेगा। यदि नई दवाएं और तकनीक भारत में विकसित होंगी तो आयात पर निर्भरता घटेगी और इलाज की लागत कम होगी। एआई और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी बेहतर जांच सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। भविष्य में यदि कोई महामारी आती है तो भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देश स्वयं वैक्सीन और दवाओं का विकास कर सकेगा। साथ ही बायोटेक स्टार्टअप, लैब तकनीशियन, डेटा साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

हालांकि केवल बजट बढ़ाने से लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अनुसंधान की स्वीकृति प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनानी होगी। क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े नियमों में आवश्यक सुधार करने होंगे। डॉक्टरों को केवल चिकित्सक नहीं, बल्कि शोधकर्ता भी बनना होगा। इंजीनियरों को स्वास्थ्य तकनीक विकसित करनी होगी और युवाओं को अनुसंधान को आकर्षक करियर के रूप में अपनाना होगा।

भारत के पास विविध आबादी, विविध बीमारियां और विशाल स्वास्थ्य डेटा उपलब्ध है। यदि इस डेटा का सुरक्षित और वैज्ञानिक उपयोग किया जाए तो भारत एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का वैश्विक केंद्र बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए 10 बड़े अनुसंधान हब स्थापित करने, राज्यों में शोध नेटवर्क विकसित करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और मरीज की सहमति पर आधारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना बनाई है।

2047 का भारत कैसा होगा, यह काफी हद तक उसके स्वास्थ्य तंत्र पर निर्भर करेगा। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत अर्थव्यवस्था और समृद्ध राष्ट्र की नींव होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य अनुसंधान पर किया गया प्रत्येक निवेश भविष्य की सुरक्षा में किया गया निवेश है। अब जिम्मेदारी वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, उद्योग जगत और समाज सभी की है कि वे इस अवसर को राष्ट्रीय अभियान में बदलें। यदि यह प्रयास सफल हुआ तो आने वाले वर्षों में भारत केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि दुनिया को नई दवाएं, नई तकनीक और नई स्वास्थ्य दृष्टि भी देगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

डिजिटल ठगी का जालः देशभर में दो साल में हजारों करोड़ का चूना...

मीठी आवाज से बना रहे साइबर अपराधी शिकार

मोबाइल की एक घंटी और मीठी आवाज। इसके बाद खाली हो जाता है बैंक खाता। देशभर में पिछले दो वर्षों में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़े हैं। पुलिस और साइबर सेल के आंकड़े बताते हैं कि 2024 से 2026 तक डिजिटल फ्रॉड के लाखों मामले दर्ज हुए हैं और इनमें हजारों करोड़ रुपये की ठगी हो चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब ठग केवल तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की भावनाओं और भरोसे को भी हथियार बना रहे हैं।

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार ठगी के तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले ठग बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी मांगते थे, लेकिन अब वे सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हैं, प्रेमजाल में फंसाते हैं और फिर निवेश के नाम पर लाखों रुपये ठग लेते हैं। देश के कई हिस्सों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर विदेशी नागरिक बनकर युवाओं और महिलाओं से दोस्ती की गई। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाई गई और फिर विदेश से महंगा उपहार भेजने या कारोबार में साझेदारी के नाम पर कस्टम क्लीयरेंस और टैक्स का हवाला देकर लाखों रुपये ठग लिए गए। शिकायत करने पर पता चला कि सभी खाते फर्जी थे और गिरोह विदेशों से संचालित हो रहे थे।

इसी तरह कई मामलों में ठगों ने खुद को सेना का अधिकारी, डॉक्टर, बड़ा कारोबारी या सरकारी अधिकारी बताया। मीठी बातों से भरोसा जीता और फिर क्रिप्टोकरेंसी, शेयर ट्रेडिंग या विदेशी लॉटरी के नाम पर लोगों को ठग लिया। गृह मंत्रालय और एनसीआरबी के अनुसार देश में प्रतिदिन औसतन 7,000 से अधिक साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। पिछले दो वर्षों में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सबसे ज्यादा ठगी हुई है। इसमें ठग खुद को सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग या पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं।

फर्जी निवेश के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर समूह बनाकर शेयर बाजार और क्रिप्टो में भारी मुनाफे का झांसा दिया जाता है। शुरुआत में छोटा लाभ दिखाकर भरोसा जीता जाता है, फिर बड़ी रकम निवेश कराई जाती है और पैसा मिलते ही समूह बंद कर दिया जाता है। गूगल पर बैंक, पेटीएम या बिजली विभाग के फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर भी ठगी की जा रही है। ग्राहक मदद के लिए कॉल करता है और ठग रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए मोबाइल का नियंत्रण हासिल कर बैंक खाता खाली कर देते हैं। इसी प्रकार पार्ट टाइम नौकरी और टास्क के नाम पर युवाओं को पहले छोटी रकम देकर विश्वास दिलाया जाता है, फिर बड़ी राशि जमा कराकर संपर्क तोड़ दिया जाता है।

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि अब ठग पढ़े-लिखे और जागरूक लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। ठगी के शिकार लोगों में बड़ी संख्या महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं की है। महिलाएं सोशल मीडिया पर दोस्ती और निवेश के जाल में फंस रही हैं। सेवानिवृत्त लोग पेंशन, मेडिकल बीमा और केवाईसी के नाम पर ठगे जा रहे हैं, जबकि युवा पार्ट टाइम नौकरी, लोन और ऑनलाइन गेम के झांसे में आ रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई लोग ठगी का शिकार होने के बाद भी शिकायत नहीं करते। उन्हें लगता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी या बदनामी होगी। इसी कारण वास्तविक आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड से कहीं अधिक हो सकते हैं।

पिछले एक वर्ष में ठगी के तरीके और भी खतरनाक हो गए हैं। अब ठग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरा हूबहू तैयार कर रहे हैं। परिवार के सदस्य या मित्र की आवाज में इमरजेंसी बताकर पैसे मांगे जा रहे हैं। डीपफेक वीडियो बनाकर कंपनियों में फर्जी लेनदेन तक कराए जा रहे हैं। ऐसे में असली और नकली के बीच अंतर करना आम लोगों के लिए कठिन होता जा रहा है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए 1930 हेल्पलाइन शुरू की है। साइबर सेल ने हजारों बैंक खाते फ्रीज कराए हैं और बड़ी राशि पीड़ितों को वापस दिलाई है। स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय कॉलोनियों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बैंकों को बड़े लेनदेन पर ग्राहकों को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर भी चुनौती यह है कि अधिकांश गिरोह दूसरे राज्यों या विदेशों से संचालित होते हैं और रकम क्रिप्टोकरेंसी या विदेशी खातों में भेज दी जाती है, जिससे उसका पता लगाना कठिन हो जाता है।

साइबर विशेषज्ञों की सलाह स्पष्ट है। किसी भी अज्ञात वीडियो कॉल पर भरोसा न करें। पुलिस, सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी के नाम पर डराया जाए तो पहले सत्यापन करें। सोशल मीडिया पर बने नए परिचितों के साथ पैसे या निवेश की चर्चा से बचें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच करें। बैंक कभी व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर जानकारी नहीं मांगते। ओटीपी, पासवर्ड और कार्ड संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। परिवार के सदस्य के नाम से पैसे मांगने वाला कॉल आए तो पहले उससे सीधे संपर्क कर पुष्टि करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी शिकायत होगी, रकम वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय जागरूकता और सतर्कता ही है। डिजिटल युग में अब दरवाजे पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग पर ताला लगाने की जरूरत है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

उपभोक्ता नहीं बने प्रयोगशाला

देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी ई-20 ईंधन इसी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को भी एथेनॉल उत्पादन के माध्यम से नया बाजार मिलेगा। लेकिन किसी भी नई तकनीक या नीति की सफलता तभी मानी जाएगी, जब उसका बोझ आम उपभोक्ता पर न पड़े।

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग का हालिया फैसला इसी संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग ने मारुति सुजुकी को एक उपभोक्ता की ग्रैंड विटारा कार बदलकर ई-20 अनुकूल मॉडल देने या पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया। यह निर्णय केवल एक वाहन मालिक की जीत नहीं, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती का प्रतीक है।

देश में ई-20 ईंधन को बढ़ावा देने के दौरान लाखों ऐसे वाहन सड़कों पर हैं, जिन्हें उस समय खरीदा गया था जब यह ईंधन पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। यदि ऐसे वाहनों में ई-20 के कारण तकनीकी खराबियां आती हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता पर नहीं डाली जा सकती। वाहन निर्माता कंपनियों का दायित्व है कि वे अपने उत्पादों की सीमाओं और ईंधन अनुकूलता की स्पष्ट जानकारी दें। यदि भविष्य में नीति परिवर्तन से वाहन प्रभावित होने की संभावना है, तो ग्राहकों के लिए समाधान और सुरक्षा की व्यवस्था भी पहले से तय होनी चाहिए। यह मामला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है। यह पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग और नीति निर्माताओं के लिए चेतावनी है कि नई तकनीक लागू करने से पहले उसके व्यावहारिक प्रभावों का गंभीर आकलन किया जाए। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन नीति और वाहन निर्माण नीति के बीच बेहतर समन्वय हो। उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और अधूरी जानकारी पर भी सख्ती आवश्यक है।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं और हाल के वर्षों में उपभोक्ता आयोगों ने कई ऐसे फैसले दिए हैं, जिन्होंने कंपनियों को जवाबदेह बनाया है। रायपुर का यह फैसला भी उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि तकनीकी परिवर्तन के नाम पर कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं।

हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक का स्वागत होना चाहिए, लेकिन विकास का अर्थ केवल नई नीतियां लागू करना नहीं है। विकास का सही अर्थ है—ऐसी व्यवस्था बनाना, जिसमें सरकार, उद्योग और उपभोक्ता तीनों के हित सुरक्षित रहें। तकनीक बदलना समय की मांग है, लेकिन उसके साथ जवाबदेही भी बदलनी चाहिए। यदि नई नीति का जोखिम केवल उपभोक्ता ही उठाएगा, तो यह विकास नहीं, बल्कि असंतुलन होगा। उपभोक्ता किसी नई तकनीक का परीक्षणकर्ता नहीं, बल्कि सम्मान और संरक्षण का अधिकार रखने वाला नागरिक है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

गांव बनेंगे पर्यटन का नया ठिकाना....

होमस्टे कारोबार को मिलेंगे नए पंख

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यह बात हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब यह केवल किताबों और भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने गांवों की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता को रोजगार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इसी कड़ी में निटर (ग्राम उत्कर्ष एवं अनुसंधान संस्थान), भोपाल में 'ग्राम उत्कर्ष दर्शन' के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेशभर के उद्यमियों को गांवों से जोड़कर होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन के कारोबार से जोड़ना है।

आज पर्यटक केवल बड़े शहरों और महंगे होटलों तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह गांव की मिट्टी की खुशबू, लोकजीवन, लोककला और पारंपरिक भोजन का अनुभव करना चाहता है। इसी मांग को देखते हुए सरकार ने गांवों को पर्यटन के नक्शे पर लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। उन्हें बताया गया कि गांव में खाली पड़े कमरों को कैसे होमस्टे में बदला जा सकता है, मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाए, शुद्ध भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए और गांव के जीवन को आकर्षण के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए, ताकि अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके।

होमस्टे केवल कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि गांव की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम भी है। जब कोई शहर का व्यक्ति या विदेशी पर्यटक गांव में कुछ दिन बिताता है, तो वह वहां की हस्तकला, कृषि पद्धति, लोकगीत और खानपान को करीब से देखता और समझता है। इससे गांव की पहचान बनती है और स्थानीय उत्पादों की मांग भी बढ़ती है।

मध्य प्रदेश में प्रकृति और विरासत दोनों की भरपूर संपदा है। पचमढ़ी, कान्हा और बांधवगढ़ के अलावा सैकड़ों ऐसे गांव हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। यदि गांवों को पर्यटन से जोड़ा जाए, तो पलायन रुकेगा और युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा। होमस्टे शुरू करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है। केवल साफ-सफाई, शुद्ध भोजन और मेहमाननवाजी की भावना चाहिए। सरकार भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण, प्रमाण-पत्र, विपणन और बैंक ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कर रही है। प्रशिक्षण का एक बड़ा फोकस कृषि आधारित पर्यटन पर भी रहा। किसानों को बताया गया कि वे अपने खेतों को भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। शहर के लोग फसल की बुवाई, कटाई और जैविक खेती का अनुभव करना चाहते हैं। इससे किसानों को खेती के साथ-साथ पर्यटन से भी अतिरिक्त आय मिलेगी। गांव में जो चीजें सामान्य हैं, वही शहर के लोगों के लिए आकर्षण बन सकती हैं। चूल्हे की रोटी, कुएं का पानी, बैलगाड़ी की सवारी और लोकनृत्य जैसे अनुभव पर्यटन का हिस्सा बन सकते हैं।

इस प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण पर्यटन की सफलता में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि भोजन, स्वच्छता और आतिथ्य जैसे कार्य वे बेहतर ढंग से निभा सकती हैं। उन्हें यह भी सिखाया गया कि घर के एक हिस्से को होमस्टे में कैसे बदला जाए, ऑनलाइन बुकिंग कैसे ली जाए और घर में बने अचार, पापड़ तथा हस्तशिल्प उत्पादों को पर्यटकों तक कैसे पहुंचाया जाए। इससे उनकी आय बढ़ेगी और गांव में उनकी आर्थिक भूमिका भी मजबूत होगी।

हालांकि, उद्यमियों ने कुछ चुनौतियां भी सामने रखीं। गांवों में सड़क, बिजली, इंटरनेट, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी बड़ी बाधा है। इसके साथ ही लोगों की सोच में बदलाव भी जरूरी है। ये समस्याएं एक दिन में हल नहीं होंगी, लेकिन सरकार, पंचायत और निजी उद्यमी मिलकर काम करें तो बदलाव संभव है।

पहले चरण में उन गांवों को चुना जाएगा, जो पर्यटन स्थलों के निकट हैं या जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बड़ी भूमिका होगी। इसी सोच के तहत ग्राम उत्कर्ष दर्शन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। यदि यह पहल प्रभावी ढंग से जमीन पर उतरी और गांवों में सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट के साथ लोगों की सोच भी बदली, तो वह दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश का हर दूसरा गांव पर्यटन के नक्शे पर होगा और दुनिया कहेगी-भारत को देखना है तो उसके गांव देखो।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)